रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1975/अग्रहायण 28, 1897
No. 247] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1975/AGRAHAYANA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th December 1975

SUBJECT : *Import Policy for Registered Exporters for the Period April 1975—March 1976 (Amendment)*

No. 131-ITC (PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book— Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/75 dated the 7th April, 1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	2	3
130	B.31.12 Cols. 3 & 5	The existing import replenishment of "75%" may be amended to read as "85%". The existing remark in Col. 5 may be substituted by the following :— "The imported lead shall not be included in the statement of consumption of imported materials

1	2	3
		by the manufacturer of the goods while claiming AU entitlements for raw materials on the basis of consumption. A declaration to this effect from the manufacturer-exporter or nominee manufacturer, as the case may be, should accompany the application for REP licence."
130	B.31.13 Cols. 3 & 5	The existing import replenishment of "70%" may be amended to read as "80%". The existing remark in Col. 5 may be substituted by the following :— "The imported lead shall not be included in the statement of consumption of imported materials by the manufacturer of the goods while claiming AU entitlements for raw materials on the basis of consumption. A declaration to this effect from the manufacturer-exporter or nominee manufacturer, as the case may be, should accompany the application for REP licence."
130	B.31.14 Cols. 3 & 5	The existing import replenishment of "75%" may be amended to read as "85%". The existing remark in Col. 5 may be substituted by the following :— "The imported Zinc shall not be included in the statement of consumption of imported materials by the manufacturer of the goods while claiming AU entitlements for raw materials on the basis of consumption. A declaration to this effect from the manufacturer-exporter or nominee manufacturer, as the case may be, should accompany the application for REP licence."
273	Section III Annexure XXVI	The provisions contained in this Annexure stand deleted.

(MISS) ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन) ।

सं० 131-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21-आई टी सी (पीएन)/75, दिनांक 7 अप्रैल 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०–2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नोवे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
130	बी.31.12 ———————— कालम 3 एवं 5	75 प्रतिशत की वर्तमान आयात प्रतिपूर्ति को "85 प्रतिशत" के रूप में पढ़ने के लिए संशोधन किया जाए कालम 5 में वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "आयातित सीसे का" माल के विनिर्माता द्वारा उपभोग के आधार पर कच्चे माल के लिए वास्तविक उपयोक्ता हकदारी का दावा करते समय आयातित माल के उपभोग के विवरण में शामिल नही किया जाएगा। इस संबंध में विनिर्माता निर्यातक या नामित विनिर्माता जैसा भी मामला हो उससे एक घोषणापत्र आरईपी लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।
130	बी.31.13 ———————— कालम 3 एवं 5	"70 प्रतिशत" की वर्तमान आयात प्रतिपूर्ति को "80 प्रतिशत" के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए। कालम 5 में वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "आयातित सीसे का" माल के विनिर्माता द्वारा उपभोग के आधार पर कच्चे माल के लिए वास्तविक उपयोक्ता हकदारी का दावा करते समय आयातित माल के उपभोग के विवरण में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध मे विनिर्माता निर्यातक या नामित विनिर्माता जैसा भी मामला हो उससे एक घोषणापत्र आरईपी लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।
130	बी.31.14 ———————— कालम 3 एवं 5	"75 प्रतिशत" की वर्तमान आयात प्रतिपूर्ति को "85 प्रतिशत" के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "आयातित जस्ते का" माल के विनिर्माता द्वारा उपभोग के आधार पर कच्चे माल के लिए वास्तविक उपयोक्ता हकदारी का दावा करते समय आयातित माल के उपभोग के विवरण मे शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विनिर्माता निर्यातक या नामित विनिर्माता जैसा भी मामला हो उससे एक घोषणापत्र आरईपी लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।

1	2	3
273	खण्ड-3 अनुबन्ध-26	इस अनुबन्ध में निहित व्यवस्थाएं हटाई गई समझी जाएं

(कुमारी) रीमा मजुमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975